



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

डा.पञ्चक तुलन पञ्जीकृत / ई-मेल
Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072



Office of Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-www.pwd.uk.gov.in

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 82 / 18 प्रशिक्षण/21
सेवा में,

दिनांक- 30 / 01 / 2021

मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक,
प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान,
सिंचाई विभाग रुड़की।

विषय:- कनिष्ठ अभियन्ता (सि0/प्रा0) के आधारभूत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या-39/18प्रशिक्षण/19 दिनांक-21.10.2021।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक-01.02.2021 से प्रस्तावित कनिष्ठ अभियन्ता (सि0/प्रा0) का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु लोक निर्माण विभाग, से 25 अभियन्ता (सि0/प्रा0) को नामित किया गया है।

उक्त परिपेक्ष में अवगत कराना है कि नामित किये गये अभियन्ताओं की सूची क्रमांक-21 एवं क्रमांक-25 पर अंकित क्रमशः श्री प्रदीप कुमार नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) एवं श्री हरिविलास गुसाई, कनिष्ठ अभियन्ता, (प्रा0) के अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के क्रम में उक्त अभियन्ताओं को दिनांक 01.02.2021 से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखते हुये उनके स्थान पर निम्न कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने हेतु एतद्वारा नामित किया जाता है।

क्र. स.	नाम	पिता का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	मोबाइल नं०
1.	श्री मनोज कुमार	श्री चंदन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर	9458970920
2.	श्रीमती मिनाक्षी नेगी	श्री विक्रम सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि, चकराता	9997687900

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून/पौड़ी।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, नवम/बारहवॉ/सिविल वृत्त देहरादून/पौड़ी/हरिद्वार।
- 3-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर/चकराता को अपर निदेशक, प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की के संलग्न पत्र सं०-C-318 दिनांक-06.01.2021 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं को इस प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-यथोपरि।

4-अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लैसडाऊन/रुड़की।

4-अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0 सैल को सूची अपलोड एवं सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु।

5- सम्बन्धित.....कनिष्ठ अभियन्ता (सि0/प्रा0),लो0नि0वि0.....।

संलग्न-प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान रुड़की का पत्र सं०-C-318 दिनांक-06.01.2021।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
30/1/21
21.01.2021



प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड-247667

OFFICE OF CHIEF ENGINEER & DIRECTOR
STATE ENGINEERS ACADEMY, ROORKEE
IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND-247667

Email- sea.irrigation@gmail.com



आचार्य शास्त्रि: श्रीतः गंगेयम्

पत्रांक: C-318 / मु0अ0 / प्र0अ0प्र0सं0रू0 / प्रशिक्षण

दिनांक 06/01/2021

विषय: लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने सम्बन्धी।

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक 772/18 प्रशिक्षण/19, दिनांक 28.12.2020।

मुख्य अभियन्ता (अधीष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपकी वाँछानुसार लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के 25 कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु "136 वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" (अवधि 03 माह) का आयोजन दिनांक 01.02.2021 से प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त 25 कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रशिक्षण हेतु नामित करते हुए दिनांक 01.02.2021 से प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की में योगदान देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह भी अवगत कराना है कि प्रशिक्षण की अवधि में सभी प्रशिक्षुओं को संस्थान के छात्रावास में ही अवस्थान करना एवं कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी SOP (Standard Operating Procedure) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियन्ताओं को संस्थान में योगदान देने हेतु 02 पासपोर्ट साइज फोटो एवं कार्यमुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

EE (प्रशिक्षण)

(CE) 11/1/21

(अधीक्षक अभियन्ता)
मुख्य अभियन्ता

(कोटि)

(उपनिदेशक/प्रशिक्षण)
अधीक्षक अभियन्ता

(अजय कुमार)
अपर निदेशक/अधीक्षक अभियन्ता
2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर/उपनिदेशक (प्रशासन/प्रशिक्षण), प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की।

(अजय कुमार)
अपर निदेशक/अधीक्षक अभियन्ता

39
12-1-21

प्रमुख